प्रेस नोट 17.11.2020

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा भदेसरा के पास से मु0अ0सं0 589/20 धारा 323,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सत्यम त्रिपाठी पुत्र स्व0 दिवाकर त्रिपाठी निवासी भदेसरा थाना दक्षिणटोला मऊ तथा थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा ताजोपुर के पास से मु0अ0सं0 815/20 धारा 417,148,149,452,504,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सतेन्द्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ताजोपुर, मु0अ0सं0 816/20 धारा 148,147,149,325,308,504 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अरूण पुत्र शिवप्रकाश निवासी ताजोपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.11.2020 को थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नगरीपार मोड़ से देवनारायण साहनी पुत्र जगरनाथ साहनी निवासी बेलौली के कब्जे से 10 लीटर तथा बकियाराम सायफन के पास से शीवाजी यादव पुत्र रामभूवन निवासी सूरजपुर थाना मधुबन के कब्जे से 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना स्थानीय पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 23 व्यक्ति गिरफ्तार–

आज दिनांक 17.11.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा मो0 अरसद निवासी पठानटोला थाना दक्षिणटोला, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा श्रीनाथ निवासी उसरीखुर्द, कृष्ण कुमार, रोहित, रविशंकर, रामप्रवेश निवासीगण बुढ़ावर थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा चन्द्रभान, हरिकेश, संजय निवासीगण नगरापार थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र निवासी इटौरा, श्रीराम निवासी नसीराबाद खुर्द, छागुर, शैलेन्द्र निवासीगण मोलनापुर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा रोहित निवासी अदरी, अशरफ निवासी शिवपुर गाढ़ा, रामप्रवेश, रवीन्द्र निवासीगण अदरी खजुरी, कमलेश निवासी पहसा, फैजान, नसीम निवासीगण अलीनगर थाना सरायलखंसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा वजीर अहमद निवासीगण रधुनाथपुरा थाना कोतवाली, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा राजाराम, सर्वजीत निवासीगण चैनपुर थाना रानीपुर मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 17.11.2020 को यातायात माह नवम्बर–2020 के क्रम मे यातायात प्रभारी संतोष यादव मय हमराह एचसीपी रमेश कुमार, हे0का0 सुनील कुमार सिंह, का0 प्रवीण कुमार गुप्ता, होम गार्ड मिथलेस सिंह, होम गार्ड अनिल कुमार, हो0गा0 अमीर चन्द्र, पी0आर0डी0 अरविन्द कुमार, के साथ यातायात नियमो का उल्लघंन करने वाले वाहन का सघन चेकिंग अभियान गाजीपुर तिराहा, रोडवेज,रेलवे स्टेशन, भीटी चौक सदर, हास्पिटल चलाकर बिना, रजिस्ट्रेशन, डी0एल0 ,इंशोरेन्स, फिटनेश, विना हेलमेट, सीट बेल्ट, गलत नम्बर प्लेट मे कुल 121 वाहनो का चालान किया गया जिसमे विना हेलमेट के 45, सीट बेल्ट–19 गलत नम्बर प्लेट पर 11, बिना डी0यल0 13, मोबाईल फोन 05 तथा तीन सावरी 04, गलत पार्किंग मे 24 चालान की कार्यवाही की गयी।